संख्या-2/2022/ई-10-1/197718/दस-2022-10-10099/22/2022

प्रेषक,

प्रशान्त त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) श्री अवनीश अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव,
ऊर्जा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

(2) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

(3) समस्त विभागाध्यक्ष/
कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10 **लखनऊः दिनांक 03 अगस्त, 2022**

विषयः- **विभागों द्वारा उ0प्र0 पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को विद्युत देयों का केन्द्रीकृत भुगतान।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1/2022/ई-10-162757/दस-2022-10-10099/22/2022, दिनांक 05 मई, 2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- कतिपय विभागाध्यक्षों एवं निदेशक, कोषागार द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शासनादेश के अनुसार सरकारी विभागों द्वारा उ0प्र0 पॉवर कॉर्पोरेशन लि0 को विद्युत देय की मद में अग्रिम भुगतान किया जाना है, परन्तु अग्रिम भुगतान हेतु विभागाध्यक्ष रूपये 01 लाख तक की धनराशि स्वीकृत करने हेतु अधिकृत हैं जबकि विद्युत देयों के अग्रिम भुगतान की राशि रूपये 01 लाख से अधिक है, जिसके कारण कोषागारों द्वारा विद्युत देयों के अग्रिम भुगतान संबंधी देयक पारित नहीं किये जा रहे हैं। निदेशक, कोषागार के पत्र दिनांक 17.06.2022 द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि उक्त प्रयोजन हेतु विभागाध्यक्षों को द्वारा अग्रिम भुगतान की स्वीकृति की अधिकतम सीमा में वृद्धि कर दी जाये ताकि कोषागारों द्वारा विद्युत देयों के अग्रिम भुगतान संबंधी देयक पारित किये जा सकें।

3- वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 05 मई, 2022 द्वारा विभागाध्यक्षों को विद्युत देयों का अग्रिम भुगतान किये जाने संबंधी आदेश दिये गये हैं, अतः शासनसादेश दिनांक 05 मई, 2022 में दी गयी प्रक्रिया के क्रियान्वयन हेतु विभागाध्यक्षों द्वारा विद्युत देयों का अग्रिम भुगतान उ0प्र0 पॉवर कॉर्पोरेशन लि0 को किये जाने के लिये, अग्रिम स्वीकृति की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अधिकृत अधिकतम सीमा को शिथिल किये जाने के संबंध में पृथक् से आदेश निर्गत किये जाने की आवश्यकता नहीं है। समस्त संबंधितों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त शासनादेश के अनुसार तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

4- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त शासनादेश सरकारी विभागों द्वारा उ0प्र0 पॉवर कॉर्पोरेशन लि0 को विद्युत देयों की मद में अग्रिम भुगतान किये जाने के संबंध में हैं। इस शासनादेश की व्यवस्थायें प्रदेश में कार्यरत निजी विद्युत वितरण कंपनियों के संबंध में लागू नहीं हैं।

कृपया तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

प्रशान्त त्रिवेदी
अपर मुख्य सचिव।

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) अध्यक्ष, उ0प्र0 पॉवर कॉर्पोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
(2) प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल/पश्चिमांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0/केस्को, कानपुर।
(3) वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन के समस्त विशेष सचिव।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
(6) मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, प्रयागराज।
(7) मुख्य कोषाधिकारी, सिविल लाइंस, प्रयागराज।
(8) मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
(9) वित्त विभाग के समस्त व्यय-नियंत्रण अनुभाग।
(10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in